

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

आम नीलामी सूचना।

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अंतर्गत राज्यसात वाहनों (जहाँ है, जिस स्थिति में है) की बिक्री दिनांक - 27.03.2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय, गढ़वा में आम नीलामी द्वारा की जायेगी। नीलामी हेतु राज्यसात वाहनों की सूची, क्रमानुसार विवरणी निम्नांकित है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या/इंजन संख्या/ चेचिस संख्या	वाहन जहाँ स्थित है।
1	कावासाकी बॉक्सर मोटरसाईकल	CG15 - 1961	वन क्षेत्र परिसर, रंका
2	कमाण्डर	JH03A - 3254	रंका पूर्वी वन परिसर, रंका
3	पिकअप	JH14A - 5070	रंका पूर्वी वन परिसर, रंका
4	अतुल टेम्पू	JH03L - 8945	रंका पूर्वी वन परिसर, रंका
5	पिकअप भैन	JH19A - 2871	वन क्षेत्र परिसर, रंका पूर्वी।
6	पिकअप भैन	CHASSIS NO. MAIZG2GA244300, ENGINE NO. ZA80300N	रंका पूर्वी वन प्रक्षेत्र कार्यालय
7	मारुति सुजूकी ओमनी वैन	Reg. No. BR13C - 9636	वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, भण्डरिया
8	मारुति वैन	REG. NO. WB02-2674	रंका वन क्षेत्र कार्यालय कैम्पस, रंका पूर्वी प्रक्षेत्र
9	ट्रैक्टर ESCORT 434 ट्रॉली सहित	Reg. no. JH14A - 8292, T- 3084772 Engine no. E3093207, Chassis no. B3084668	वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, भण्डरिया
10	पिकअप	REG. NO. JH03P - 5735	वन क्षेत्र कार्यालय कैम्पस, रंका पूर्वी


नोट :-

- विस्तृत सूचना के लिए कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में या दूरभाष संख्या 9341791906 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- आम नीलामी की शर्तें एवं वाहनों की सूची <https://garhwa.nic.in/> एवं <https://forest.jharkhand.gov.in/> के website तथा कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

आम नीलामी की शर्तें :-

- (1) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का GST निबंधन होना अनिवार्य होगा।
- (2) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20,000.00 (बीस हजार) रुपये की अग्रधन की राशि (Gate Money) नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा के पदनाम से एवं गढ़वा जिला स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में भुगतये हो, जमा करना होगा।
- (3) सफल क्रेता को प्रत्येक वाहन का क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि दिनांक- 28.03.2023 को अपराह्न 5:00 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय में जमा करना होगा।
- (4) प्रत्येक वाहन के लिए सफल क्रेता को आम नीलामी की तिथि से 21 दिनों के अंदर क्रय मूल्य की पूरी राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत अनुमान्य कर का भुगतान करना होगा तथा GST अधिनियम की तहत देय कर का भुगतान रिभर्स चार्ज मैकेनिज्म (R.C.M.) के अंतर्गत करना होगा तथा चालान एवं रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वाहन उठाव की अनुमति दी जायेगी।
- (5) सफल क्रेता को वाहन का उठाव (जो वाहन जहाँ है वहीं से) अपने खर्च पर करना होगा।
- (6) असफल क्रेता को अग्रधन की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेता का अग्रधन की राशि वाहन के क्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
- (7) आम नीलामी की तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल को सुरक्षित रहेगा।
- (8) सफल क्रेता, आम नीलामी की तिथि से 21 दिनों के अंदर वाहन का क्रय मूल्य की राशि, आयकर एवं G.S.T. अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि बिना कारण बताये हुए झारखण्ड राज्य सरकार के पक्ष में Forfeit कर ली जाएगी।
- (9) वाहन क्रय के बाद, वाहन का निबंधन एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेवारी क्रेता की होगी।
- (10) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान उपर्युक्त वाहनों को (जो जहाँ है, जिस स्थिति में है) किसी भी दिन कार्यालय अवधि में उनके रखे गये स्थान पर देख सकते हैं।
- (11) विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल गढ़वा रहेगा।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।